—:: परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश ::—

1. परीक्षार्थी यह सुनिश्चित कर लेवें कि परिषद द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा के विज्ञापन जारी करने की अंतिम तिथि को **आयु 16 वर्ष** पूर्ण होने के साथ ही न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता **हाईस्कूल अथवा उसके समकक्ष परीक्षा** उत्तीर्ण हों। आयु, शैक्षणिक योग्यता एवं अनु.जाति/अनु.जनजाति (यदि उक्त जाति के हो तो) तत्संबंधी प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित छाया प्रति अनिवार्य रूप से आनलाईन आवेदन पत्र के साथ निर्धारित स्थान पर स्कैन कर अपलोड करें।
2. हिन्दी/अंग्रेजी शीघ्रलेखन तथा हिन्दी/अंग्रेजी की विभिन्न गति की कम्प्यूटर कौशल परीक्षाओं के लिए ऑनलाईन आवेदन ही मान्य होंगे।
3. परीक्षार्थी यह सुनिश्चित कर लेवें कि ऑनलाईन प्रस्तुत आवेदन की समस्त प्रविष्टियों को भंली भांति जॉच–परखने के उपरान्त ही तथा स्वयं सन्तुष्ट होने के उपरान्त ही आवेदन सबमिट करें, एक बार आवेदन सबमिट कर देने के पश्चात् संशोधन इत्यादि के लिए पृथक से कोई समय नहीं दिया जायेगा।
4. यह आवश्यक नहीं है कि आवेदक द्वारा आवेदित परीक्षा केन्द्र ही आवंटित किया जाये। परिषद द्वारा यथा संभव परीक्षा केन्द्रों में उपलब्ध कम्प्यूटर सिस्टम के अनुपात में निकटतम परीक्षा केन्द्र आवंटित करने का प्रयास किया जाएगा। परीक्षार्थी को उसी आवंटित परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा देनी होगी।
5. आवेदन पत्र भरते समय अभ्यर्थी यह अवश्य ध्यान रखें कि अपना नवीनतम रंगीन पासपोर्ट आकार का स्पष्ट फोटो (साईड पोज फोटो मान्य नहीं होगा) तथा नमूना हस्ताक्षर के लिए काली स्याही का ही प्रयोग करें तत्पश्चात दोनों स्कैन कर आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर अपलोड करें।
6. आवेदनकर्ता यह ध्यान रखें कि परिषद द्वारा आवेदन पत्र परीक्षणोपरान्त अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण अथवा भ्रामक जानकारी पाये जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के आवेदन निरस्त किया जा सकता है साथ ही परीक्षा शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा। इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व परीक्षार्थी का होगा।
7. यदि किसी आवेदनकर्ता द्वारा गलत तरीका अपनाकर परीक्षा दी गई तो उनका परीक्षाफल निरस्त करने के साथ–साथ भारतीय दण्ड विधान संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकेगी ।
8. आवेदक किसी एक विषय हिन्दी/अंग्रेजी (गति 5000, 8000 एवं 10000 की डिप्रेशन प्रतिघंटा के मान से) की परीक्षा हेतु पृथक–पृथक गति के लिए आवेदन तो कर सकते हैं किन्तु एक ही गति की परीक्षा के लिए अलग–अलग परीक्षा केन्द्रों के लिए आवेदन नहीं कर सकते। इस प्रकार के आवेदन करने पर आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा। इसका उत्तरदायित्व परीक्षार्थी का होगा न ही परीक्षा शुल्क वापस किया जायेगा।

8.1 परीक्षा शुल्क का विवरण

स. क्रं	परीक्षा	कम्प्यूटर के माध्यम से स्पीड टेस्ट की गति	परीक्षा शुल्क का विवरण	
			अनारक्षित / अन्य पिछड़ा वर्ग	आरक्षित (अनु.जाति / जनजाति)
1	हिन्दी / अंग्रेजी शीघ्रलेखन	100 शब्द प्रतिमिनट की गति से 500 शब्दों के डिक्टेट आलेख का 5 मिनट में लिप्यांतरण	400/-	200/-
2	हिन्दी/अंग्रेजी कम्प्यूटर टंकण	5000 की डिप्रेशन प्रतिघंटा की मान से कम्प्यूटर कौशल परीक्षा	300/-	150/-
3	हिन्दी/अंग्रेजी कम्प्यूटर टंकण	8000 की डिप्रेशन प्रतिघंटा की मान से कम्प्यूटर कौशल परीक्षा	300/-	150/-
4	हिन्दी/अंग्रेजी कम्प्यूटर टंकण	10000 की डिप्रेशन प्रतिघंटा की मान से कम्प्यूटर कौशल परीक्षा	300/-	150/-

9. आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र, व परीक्षा शुल्क की सम्पूर्ण प्रक्रिया उपरान्त लिये गये प्रिंट की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है। आवश्यकता पड़ने पर परिषद द्वारा मांगे जाने पर ऑनलाईन आवेदन पत्र इत्यादि अनिवार्यतः दिखाया जाना होगा।
10. हिन्दी/अंग्रेजी शीघ्रलेखन परीक्षा में कम्प्यूटर के माध्यम से ही लिप्यांतर करना होगा, किसी भी प्रकार से हस्तलिखित लिप्यांतरण मान्य नहीं होगा।
11. आवेदन पत्र में आवश्यक समस्त प्रविष्टयों की पूर्ति अनिवार्य है।
12. परिषद द्वारा आवेदनों के परीक्षण उपरान्त प्रवेश पत्र जारी किये जाएंगे जिसे ऑनलाईन ही डाऊनलोड किये जा सकेंगें। प्रवेश पत्र में अंकित परीक्षा केन्द्र पर ही अभ्यर्थी को परीक्षा दी जानी होगी। परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन नहीं किया जावेगा।
13. शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन कम्प्यूटर कौशल परीक्षा परिषद द्वारा जारी वेबसाईट पर आवश्यक दिशा निर्देशों के अवलोकन उपरान्त आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन किये जाने के बाद प्रेक्टिस के लिए परीक्षा का डेमो मिनी साफ्टवेयर पर रजिस्ट्रेशन कोड की प्रविष्टि उपरान्त प्रेक्टिस कर सकते हैं।
14. परीक्षार्थियों को परीक्षा हॉल में प्रवेश करने के लिए अपना प्रवेश पत्र एवं शासन द्वारा जारी पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/पैन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/मतदाता परिचय पत्र आदि में से एक मूल दस्तावेज साथ लाना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
15. हिन्दी एवं अंग्रेजी शीघ्रलेखन परीक्षा हेतु परिषद् द्वारा छोटी शीघ्रलेखन पुस्तिका जिस पर बोर्ड की पहचान होगी, प्रदाय की जायेगी। परीक्षार्थी द्वारा शीघ्रलेखन पुस्तिका में लिखे गये आलेख को कम्प्यूटर पर टाईप करने के पश्चात् लिये गये प्रिंट पर नीचे की ओर अपने हस्ताक्षर करने होंगे साथ ही शीघ्रलेखन पुस्तिका के अंत में भी हस्ताक्षर करने होंगे। कम्प्यूटर पर मुद्रित करने हेतु प्रदाय किये गये पेपर के दाहिने सिरे पर (रिक्त

स्थान पर) अपना नाम एवं रोल नंबर जो परिषद/बोर्ड द्वारा प्रदाय किया गया है उन्हें अंकित करना होगा।

16. परीक्षार्थियों को परीक्षा हॉल में परिचय पत्र, प्रवेश पत्र, काला बॉल पाईंट पेन एवं पेंसिल–इरेजर के अतिरिक्त कोई भी सामग्री लाने की अनुमति नहीं होगी। सभी प्रकार के मोबाईल/स्मार्ट वाच/ब्लूटूथ उपकरण/इयरफोन/माइक्रोफोन इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या अन्य कोई सामग्री परीक्षा हॉल में लाना वर्जित है।
17. परीक्षा हॉल में प्रवेश करने के बाद अभ्यर्थी अपने कम्प्यूटर एवं की–बोर्ड आदि की जांच कर लेवें और किसी प्रकार की समस्या आने पर पर्यवेक्षकों को यथासमय सूचित करें ताकि आवश्यक सुधार किया जा सके।
18. परीक्षा के दौरान कम्प्यूटर के ठीक से कार्य न करने पर परीक्षार्थी बिना किसी आवाज के अपने स्थान पर चुपचाप खड़े हो जायेंगे तथा परीक्षा खत्म होने पर परीक्षा के केन्द्राध्यक्ष वस्तुस्थिति का परीक्षण करेंगे तथा सही पाये जाने पर अध्यक्ष/सचिव की अनुमति से उसी दिवस की परीक्षा के रिजर्व बैच समूह में बैठने हेतु अनुमति प्रदान करेंगे।
19. परीक्षा के मध्य में बिजली चले जाने के कारण या इंटरनेट बाधित होने के कारण परीक्षा में व्यवधान उत्पन्न होने पर परीक्षा उसी समय से दोबारा प्रारंभ होगी जिस समय व्यवधान उत्पन्न हुआ था।
20. मुद्रलेखन कम्प्यूटर कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र पर कम्प्यूटर पर परीक्षा प्रारंभ होने के 5 मिनट पूर्व अभ्यर्थी अपनी आई.डी. से लॉग–इन करने के पश्चात् प्रश्न–पत्र अवलोकन करने के लिए वितरित किए जाऐंगे तथा पर्यवेक्षकों का निर्देश मिलने के बाद अभ्यर्थी स्टार्ट बटन से परीक्षा प्रारंभ करेंगे और 15 मिनट के बाद परीक्षा स्वतः ही समाप्त हो जावेगी। परीक्षार्थी परीक्षा के दौरान टंकण के समय बीच–बीच में सेव बटन अवश्य प्रेस करते रहें।
21. परीक्षा समाप्त होने के बाद परीक्षार्थी अपने स्थान पर बैठे रहेंगे और पर्यवेक्षकों की अनुमति के बिना परीक्षा हॉल से कोई भी परीक्षार्थी बाहर नहीं जावेंगे।
22. परीक्षार्थियों को परीक्षा हॉल के बाहर रखे स्वयं के सामान की सुरक्षा करना होगा।
23. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर अंकित समय से एक घंटे पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र पर उपस्थिति देना सुनिश्चित करेंगे। परीक्षार्थियों को कैम्पस में बैच के अनुसार प्रवेश दिया जावेगा।
24. परीक्षा संबंधी सम्पूर्ण जानकारी विभागीय/परिषद की वेबसाईड पर देखी जा सकेगी।
25. परीक्षा परिणाम जारी होने के उपरांत उत्तीर्ण परीक्षार्थी प्रोविजनल (अंतरिम) प्रमाण पत्र निर्धारित वेबसाईड से डाऊनलोड कर सकेगें। परीक्षार्थी पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना अथवा त्रुटियों की पुनः जांच हेतु हिन्दी/अंग्रेजी शीघ्रलेखन एवं कम्प्यूटर टायपिंग कौशल परीक्षा के लिये निर्धारित शुल्क राशि रूपये 200/–(रूपये दो सौ मात्र) ऑनलाईन चालान के माध्यम से जमा करना होगा एवं आवेदन बोर्ड के सचिव के पास परीक्षा परिणाम की घोषणा के 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। बोर्ड को अधिकार होगा कि वे घोषित परीक्षा परिणाम में न्यूनतम परिवर्तन कर सकेंगे साथ ही यह भी अधिकार होगा कि परीक्षा संचालन की प्रक्रिया में भी न्यूनतम परिवर्तन कर सकें।

26. परिषद द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित परीक्षार्थियों में से उत्तीर्ण परीक्षार्थी को ही उत्तीर्ण प्रमाण पत्र दिया जायेगा। शेष अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम निर्धारित वेबसाईड पर ही देखे जा सकेगें।

27. अपरिहार्य कारणों से किसी परीक्षा दिवस की परीक्षा निरस्त की जाती है तो उसकी सूचना प्रदेश के समाचार पत्रों/वेबसाईड पर प्रकाशित की जावेगी। किसी भी परीक्षार्थी को आने–जाने हेतु कोई भी यात्रा भत्ता देय नहीं किया जायेगा।

28. परिषद द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का अभिलेखन (रिकार्ड) परिषद् कार्यालय में एक वर्ष तक ही सुरक्षित रखा जावेगा। एक वर्ष पश्चात् अभिलेख (रिकार्ड) परिषद् की समिति द्वारा अनुमोदन उपरांत विनष्ट कर दिया जाएगा।

29. परीक्षा आयोजन के संबंध में अध्यक्ष/सचिव शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा परिषद का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

सचिव,
शी.मु.क.कौ.प.प.छ0ग0